

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.3(ख)एस-डीजीएस/ अलेसे-III/ 713

दिनांक :- 18.08.2023

आदेश संख्या 41 / 2023-24

श्री सुमित श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 5908) (निलम्बित) मुख्यालय कोषालय, बून्दी को राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विभागीय आदेशों की अनुपालना नहीं करने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 45 दिनांक 18.04.2022 द्वारा निलम्बित करते हुए उनका मुख्यालय कोषालय, बून्दी किया गया था।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर में श्री श्रीवास्तव द्वारा दायर अपील संख्या 1586/2022 सुमित श्रीवास्तव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023 के द्वारा विभागीय उपरोक्त आदेश क्रमांक 45 दिनांक 18.04.2022 को अपास्त करते हुए अपील निस्तारित की गई है, जिसके विरुद्ध वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग के पत्र क्रमांक प.7(3)वित्त/विप्र/2003 दिनांक 24.07.2023 के अनुसार नो-अपील का निर्णय लिया जा चुका है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1586/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023 की अनुपालना में श्री सुमित श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा में किया जाता है। श्री सुमित श्रीवास्तव को निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते को सामायोजित करते हुए समस्त वेतन-भत्ते देय होंगे तथा निलम्बन काल को समस्त प्रयोजनार्थ सेवा काल माना जावेगा।

उक्त निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित है।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अति. निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.3(ख)एस-डीजीएस/ अलेसे-III/ 713

दिनांक :- 18.08.2023

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. कोषाधिकारी, बून्दी।
4. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. श्री सुमित श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, मुख्यालय कोषालय, बून्दी।
7. जॉच शाखा/ एसीआर शाखा/ डीपीसी शाखा/ पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/ निजी पत्रावली।

(भारती शेखावत)

सहायक निदेशक (कार्मिक-II/III)